भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3484

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3484. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत तक भारत की बैंकिंग प्रणाली की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) के 8-9 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में एनपीए की वसूली दर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एनपीए की वसूली में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एनपीए की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जुलाई 2021 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, प्रतिगामी मॉडलिंग के आधार पर समष्टि दबाव परीक्षण से यह पता चलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, जो मार्च, 2021 में 7.48 प्रतिशत था, की तुलना में मार्च, 2022 में बढ़कर 9.80 प्रतिशत तक हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार, उक्त जीएनपीए अनुपात चल रही नीतिगत कार्रवाईयों के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना निकाला गया है। इसलिए, एससीबी के जीएनपीए का वास्तविक संचलन इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्र उधारकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार और आरबीआई की इस तरह की नीतिगत पहल, जो दबाव वाले खातों के पुनरुद्धार को सुकर बनाता है, का लाभ किस हद तक प्राप्त किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कतिपय मामलों में इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार, इत्यादि के साथ-साथ इस अवधि के दौरान आक्रामक उधार पद्धतियों, आर्थिक मंदी आदि दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारण हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों के लिए प्रावधान किए गए, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे। मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी का सकल एनपीए, जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार 2,79,016 करोड़ रुपए (सकल जीएनपीए का 4.97%) था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 8,95,601 (सकल जीएनपीए का 14.58%) करोड़ रुपए हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2021 को कम होकर 6,16,616 करोड़ रुपए (सकल जीएनपीए का 9.11%) हो गया।

एनपीए को कम करने और वसूली हेतु सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिससे विगत सात वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसबी द्वारा 5,49,327 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वसूली की जा सकी। उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण ऋण संस्कृति में परिवर्तन होने से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में मूलभूत बदलाव आया है, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लिया गया और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया। इस प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाने हेतु कॉरपोरेट उधारकर्त्ता के वयैक्तिक गारंटीदाता को आईबीसी के दायरे में लाया गया है। आईबीसी के अंतर्गत, जून 2021 तक 394 मामलों में समाधान योजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसमें वित्तीय लेनदारों द्वारा 2.45 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूली गयी है।

(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा बंधक रखी गई संपत्ति पर उधारदाता द्वारा 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का उपबंध करके इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

(3) आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं को बैंकों अथवा वित्तीय संस्था द्वारा कोई भी अतिरिक्त ऋण मंजूर नहीं किया जाता है तथा उनकी इकाई को पांच वर्षों के लिए नए उपक्रम आरंभ करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

(4) इरादतन चूककर्ताओं तथा वैसी कंपनियों जिनके प्रवर्तक/निदेशक इरादतन चूककर्ता हैं, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2016 के माध्यम से निधि जुटाने हेतु पूंजी बाजार का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है।

(5) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है ताकि वे अधिक मूल्य वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें, जिसके फलस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अधिक वसूली की है। वसूली को गति प्रदान करने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गयी है।

(6) पीएसबी द्वारा बाजार से पूंजी जुटाने में सरकार द्वारा पूँजी निवेश की सहायता के फलस्वरूप पीएसबी ने दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 83.7% का उच्च प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात प्राप्त कर लिया है, जिससे पीएसबी अपनी लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले ऐसे निर्णयों तक सीमित हुए बिना एनपीए के समाधान के संबंध में निर्णय लेने में समर्थ हुए हैं।

(7) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा के भाग के रूप में किए गए मुख्य सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बैंकों में चूक की रोकथाम ध्यानपूर्वक करने, वसूली प्रबंधन तथा बड़े मूल्य की दबावग्रस्त आस्ति के संबंध में समयबद्ध कार्रवाई के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल की स्थापना की गई थी।

(ii) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में ऋण के संवितरण से पूर्व अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन तथा इसे संबद्ध करने, समूह तुलन-पत्र की संवीक्षा तथा नकदी प्रवाह की रिंग फेंसिंग करने और परियोजना वित्तपोषण में गैर-निधि तथा अंतिम जोखिम कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का अधिदेश दिया गया है।

(iii) समस्त आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक् तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों का उपयोग शुरू किया गया है ताकि मिथ्या प्रस्तुति तथा धोखाधड़ी के जोखिम को कम किया जा सके।

(iv) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति को निगरानी की भूमिकाओं से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है और 250 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है।

(v) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किए गए हैं।

एनपीए की वसूली दर के ब्यौरे के संबंध में, आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकिंग उद्योग में एनपीए के संदर्भ में 'वसूली दर' को औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया है। तथापि, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के आरम्भ की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा की गई वसूली, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 11.33% थी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में बढ़कर 13.52% तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 14.69% हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रभाव तथा वसूली के उपायों के सम्बंध में की जा रही कार्रवाई पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, वित्तीय वर्ष के आरम्भ की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान की गई वसूली 12.28% बनी रही।

*****